" राजस्थान–सरकार"

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, पाली मण्डल,पाली

" कार्यालय–आदेश"

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर के पत्रांक शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/सीभ/व.अ./2011 दिनांक 19.10.16 के अनुसरण में राज0लोक सेवा आयोग,अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक (**गणित**) भर्ती परीक्षा 2011 के संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन के लिए इस कार्यालय को सुपुर्द किए जाने के फलस्वरुप इन्हें वेतनमान पीबी–2(9300–34800) ग्रेड पे4200 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी के रुप में नियत मानदेय पर नियुक्ति प्रदान की जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(6) एफडी(नियम)/05/दिनांक 13.03.2016 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 14660/ (अक्षरे रुपये चौदह हजार छः सौ साठ) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रुपमें देय होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क–2/2003/दिनांक 09.06.2013 के प्रावधानानुसारइनकी नियुक्ति अंशदायी पेशन योजनान्तर्गत होगी ।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रुप से संपादित करेंगे:–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यार्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदतचरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यार्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीयसेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2.. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04. 2003 के अनुसार संबंधित अभ्यार्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरुप कुल संतानो की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाण–पत्र आवश्यक रुप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक,प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैघता संबंधी जॉच विभाग स्तर पर कार्यवाही कीजानी शेष है अतः जिन अभ्यार्थियों द्वारा राज्य सरकार से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक यौग्यता अर्जित कीगई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाये जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थियों से 10/–रु0 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक /प्रशेक्षिक योग्यता व वैद्य व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनक विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी।
4. आवेदन पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण कराने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
5. अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया हुआ हो। अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि " अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात अनुसूची मे वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाए।
6. अन्य पिछड़ावर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण–पत्र पिता की आय के आधार पर जारी कियाहुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआहो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।

7. धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र कमांक प.17(9) कार्मिक/क–2/2015के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्यपिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं हैं। यदि ऐसे अभ्यार्थी पाया जाता है तो,संबंधित संस्था प्रधान इन्हें कार्यग्रहण नहीं करावें । सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें ।
8. चयनित अभ्यार्थियों के कार्यग्रहण कराने से पूर्व उनकी पात्रता,आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्जावेंजों की आवश्यकरुप से जॉच करें तथा अभ्यार्थी से यह शपथ पत्र लेवें की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण,जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसारविधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा ।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
10. यह नियुक्तिमाननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 795/2015 राधेश्याम गोदारा व अन्य बनाम आयोग व अन्य तथा समकक्ष अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगें।
11. इन अभ्यार्थियों को अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक 11.11.2016 तक अनिवार्यरुप से कार्यग्रहण करना होगा,अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे ।

(भरत कुमार मेहता)
उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग,पाली

क्रमांकः– ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/आरपीएससी–11 सशो. परि./व.अ./16/पाली/ 1129 दि0 27.10.16

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. प्रमुख शासन सचिव,स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान,जयपुर ।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर राजस्थान ।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार,जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
7. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल, जोधपुर।
8. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर मण्डल,जोधपुर ।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पाली मण्डल ।
10. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,पाली मण्डल ।
11. अवधायक, वरिष्ठता अनुभाग, स्थानीय कार्यालय ।
12. सबंधित संस्था प्रधान ।
13. संबंधित अभ्यार्थी को पंजीकृत डाक के माध्यम से ।
14. निजी/रक्षक पंजिका ।

उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग,पाली

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,पाली मण्डल, पाली

क्रमांकः इडीडी/माध्य/पाली/इए/व0अ0 गणित/आरपीएससी 2011 सशो.परि./2016/ 1129 दिनांक : 27.10.2016

आदेश संख्या – 01

जिला – पाली,जालोर,सिरोही

क्रसं	मेरिट कमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्मतिथि	रोस्टर चयन वर्ग जिसके प्रति अभ्यर्थी का चयन हुआ।	पदस्थापन स्थान	विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1911	BC	रीना रानी	मोहन लाल यादव	वार्ड न. 7 नजदीक अग्रवाल धर्मशाला पीलीबंगा, हनुमानगढ, 335803	04.09.83	OBC,WE	राबामावि रास, जैतारण, जिला – पाली	नियत पारिश्रमिक
2	1961	SBC	अन्नु धाभाई	राम प्रकाश	आदर्श कॉलोनी, डुरडा रोड, गुलाबपुरा, भीलवाडा	05.05.90	SBC,WE	रामावि लच्छीवाड, सायला, जिला – जालोर	नियत पारिश्रमिक
3	779	GEN	मान सिंह	राजेन्द्र सिंह	म.न. 28317, शिव कॉलोनी, पहाडगंज, अजमेर 305001	16.06.82	GEN	रामावि अमरपुरा, जैतारण, जिला – पाली	नियत पारिश्रमिक
4	1208	OBC	बुद्धि प्रकाश धाकड	सुवा लाल धाकड	वार्ड न. 1 उनियारा देहलवालजी का चौक, बस स्टेशन, पो व तह– उनियारा, टोंक, 304024	23.06.87	OBC	रामावि नई मोरसिम, भीनमाल, जिला – जालोर	नियत पारिश्रमिक
5	1216	OBC	नरेन्द्र कुमार	रामगोपाल	कामरजी की कोठी, धनजी का बाग, कुचामन सिटी, नागौर–341508	09.03.89	OBC	राबामावि जोजावर, मारवाड जक्शन, जिला – पाली	विद्यमान वेतन
6	1232	OBC	सुदेश कुमार	मीठालाल सोलंकी	म.स.–1/349, हाउसिंग बोर्ड, सिरोही–307001	01.11.77	OBC	रामावि केर, पिण्डवाडा, जिला – सिरोही	नियत पारिश्रमिक
7	1912	SC	नन्दकिशोर वर्मा	ईश्वर लाल वर्मा	के–103, भगतसिंह कॉलोनी, वार्ड न.–21, निवाई, टोंक–304021	10.08.81	SC	रामावि सेदिया, सांचोर, जिला – जालोर	विद्यमान वेतन
8	2072	ST	रामराज मीणा	गोरधन मीणा	एसबीआई बैंक रोड, शिवाजी आदर्श स्कुल के पास, दीनदयाल कॉलोनी,निवाई, टोंक–304021	01.01.73	ST	रामावि लखमावा छोटा, शिवगंज, जिला – सिरोही	नियत पारिश्रमिक

उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, पाली

" राजस्थान–सरकार"

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, पाली मण्डल,पाली

" कार्यालय–आदेश"

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर के पत्रांक शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/सीभ/व.अ./2011 दिनांक 19.10.16 के अनुसरण में राज0लोक सेवा आयोग,अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक (**सामाजिक विज्ञान**) भर्ती परीक्षा 2011 के संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन के लिए इस कार्यालय को सुपुर्द किए जाने के फलस्वरुप इन्हें वेतनमान पीबी–2(9300–34800) ग्रेड पे4200 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी के रुप में नियत मानदेय पर नियुक्ति प्रदान की जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.12(6) एफडी(नियम)/05/दिनांक 13.03.2016 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 14660/ (अक्षरे रुपये चौदह हजार छः सौ साठ) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रुपमें देय होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क–2/2003/दिनांक 09.06.2013 के प्रावधानानुसारइनकी नियुक्ति अंशदायी पेशन योजनान्तर्गत होगी ।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रुप से संपादित करेंगे:–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यार्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदतचरित्र संम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यार्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीयसेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2.. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यार्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरुप कुल संतानो की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाण–पत्र आवश्यक रुप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक,प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैघता संबंधी जॉच विभाग स्तर पर कार्यवाही कीजानी शेष है अतः जिन अभ्यार्थियों द्वारा राज्य सरकार से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक यौग्यता अर्जित कीगई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाये जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थियों से 10/–रु0 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक /प्रशेक्षिक योग्यता व वैद्य व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनक विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी।
4. आवेदन पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण कराने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
5. अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया हुआ हो। अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि " अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात अनुसूची मे वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाए।
6. अन्य पिछड़ावर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण–पत्र पिता की आय के आधार पर जारी कियाहुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआहो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।

7. धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र कमांक प.17(9) कार्मिक/क–2/2015के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्यपिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं हैं। यदि ऐसे अभ्यार्थी पाया जाता है तो,संबंधित संस्था प्रधान इन्हें कार्यग्रहण नहीं करावें । सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें ।
8. चयनित अभ्यार्थियों के कार्यग्रहण कराने से पूर्व उनकी पात्रता,आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्जावेंजों की आवश्यकरुप से जॉच करें तथा अभ्यार्थी से यह शपथ पत्र लेवें की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण,जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसारविधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा ।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
10. यह नियुक्तिमाननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 795/2015 राधेश्याम गोदारा व अन्य बनाम आयोग व अन्य तथा समकक्ष अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगें।
11. इन अभ्यार्थियों को अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक 11.11.2016 तक अनिवार्यरुप से कार्यग्रहण करना होगा,अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे ।

(भरत कुमार मेहता)
उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग,पाली

क्रमांकः– ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/आरपीएससी–11 सशो. परि./व.अ./16/पाली/ 1130 दि0 27.10.16
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव,स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान,जयपुर ।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर राजस्थान ।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार,जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
7. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल, जोधपुर।
8. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर मण्डल,जोधपुर ।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पाली मण्डल ।
10. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,पाली मण्डल ।
11. अवधायक, वरिष्ठता अनुभाग, स्थानीय कार्यालय ।
12. सबंधित संस्था प्रधान ।
13. संबंधित अभ्यार्थी को पंजीकृत डाक के माध्यम से ।
14. निजी/रक्षक पंजिका ।

उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग,पाली

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,पाली मण्डल, पाली

क्रमाकः ईडीडी / माध्य / पाली / इए / व0अ0 सामाजिक विज्ञान / आरपीएससी 2011 सशो.परि. / 2016 / 1130

दिनाक : 27.10.2016

आदेश संख्या – 01

जिला – पाली,जालोर,सिरोही

क्रसं	मेरिट कमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्मतिथि	रोस्टर चयन वर्ग जिसके प्रति अभ्यर्थी का चयन हुआ।	पदस्थापन स्थान	विद्यमान वेतन / नियत पारिश्रमिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1846	BC	मनीषा जाखड	मदन पाल सिह	ढाणी मुरलीदान वाली,ग्रा0पो0–माधवगढ, खेतडी, झुन्झुनु	01.10.80	BC,WE,DV	रामावि पंचदेवल, पिण्डवाडा, जिला – सिरोही	नियत पारिश्रमिक
2	2243	BC	मन्जू	विधाधर सिह	ग्राम–चन्द्रपुरा,पो0–तोलियासर,वाया–मण्डावा, झुन्झनू–333704	10.12.74	BC,WE,WD	राबामावि रास, जैतारण, जिला – पाली	नियत पारिश्रमिक
3	2357	SC	सुनीता कुमारी	भागीरथ सिह	रेगरो का मोहल्ला, गाव–सूरजगढ, तह0चिडावा, झुन्झुनु	07.07.79	SC,WE,WD	रामावि मेत्रीवाडा, रानीवाडा, जिला – जालोर	नियत पारिश्रमिक
4	862	OBC	उम्मेद राम	हरलाल राम	मु0 पो0 मैन मार्केट फालका, तह– जैतारण, पाली	21.11.84	OBC	रामावि दानवरली, बाली, जिला – पाली	विद्यमान वेतन
5	867	OBC	दीपाराम विश्नोई	खानुराम विश्नोई	गॉव कूका, तह–बागौडा, जालोर	16.05.87	OBC	रामावि नई मोरसिम, भीनमाल, जिला – जालोर	विद्यमान वेतन
6	2290	GEN	देवी दयाल सिह	मेघ सिह	गाव व पोस्ट– बुहाना, झुन्झुनु–333502	27.11.69	GE,EX	रामावि केर, पिण्डवाडा, जिला – सिरोही	विद्यमान वेतन
7	2312	BC	वेद प्रकाश	जिसुख राम	गाव–पोस्ट–मैनाना, तह–बुहाना, झुन्झूनू–333502	17.05.68	BC,EX	रामावि चोचावा, सायला, जिला – जालोर	नियत पारिश्रमिक

उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग,पाली

" राजस्थान–सरकार"

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, पाली मण्डल,पाली

" कार्यालय–आदेश"

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर के पत्रांक शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/सीभ/व.अ./2011 दिनांक 19.10.16 के अनुसरण में राज0लोक सेवा आयोग,अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक (**विज्ञान**) भर्ती परीक्षा 2011 के संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन के लिए इस कार्यालय को सुपुर्द किए जाने के फलस्वरुप इन्हें वेतनमान पीबी–2(9300–34800) ग्रेड पे4200 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी के रुप में नियत मानदेय पर नियुक्ति प्रदान की जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.12(6) एफडी(नियम)/05/दिनांक 13.03.2016 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 14660/ (अक्षरे रुपये चौदह हजार छः सौ साठ) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रुपमें देय होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क–2/2003/दिनांक 09.06.2013 के प्रावधानानुसारइनकी नियुक्ति अंशदायी पेशन योजनान्तर्गत होगी ।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रुप से संपादित करेंगे:–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यार्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदतचरित्र संम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यार्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीयसेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2.. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04. 2003 के अनुसार संबंधित अभ्यार्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरुप कुल संतानो की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाण–पत्र आवश्यक रुप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक,प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैघता संबंधी जॉच विभाग स्तर पर कार्यवाही कीजानी शेष है अतः जिन अभ्यार्थियों द्वारा राज्य सरकार से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक यौग्यता अर्जित कीगई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाये जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थियों से 10/–रु0 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक /प्रशेक्षिक योग्यता व वैद्य व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनक विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी।
4. आवेदन पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण कराने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
5. अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया हुआ हो। अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि " अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात अनुसूची मे वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाए।
6. अन्य पिछड़ावर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण–पत्र पिता की आय के आधार पर जारी कियाहुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआहो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। संबंधिंत संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।

7. धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र कमांक प.17(9) कार्मिक/क–2/2015के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्यपिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं हैं। यदि ऐसे अभ्यार्थी पाया जाता है तो,संबंधित संस्था प्रधान इन्हें कार्यग्रहण नहीं करावें । सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें ।
8. चयनित अभ्यार्थियों के कार्यग्रहण कराने से पूर्व उनकी पात्रता,आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्जावेंजों की आवश्यकरुप से जॉच करें तथा अभ्यार्थी से यह शपथ पत्र लेवें की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण,जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसारविधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा ।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
10. यह नियुक्तिमाननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 795/2015 राधेश्याम गोदारा व अन्य बनाम आयोग व अन्य तथा समकक्ष अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगें।
11. इन अभ्यार्थियों को अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक 11.11.2016 तक अनिवार्यरुप से कार्यग्रहण करना होगा,अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे ।

(भरत कुमार मेहता)
उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग,पाली
दि0 27.10.16

क्रमांकः– ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/आरपीएससी–11 सशो. परि./व.अ./16/पाली/1131
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख शासन सचिव,स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान,जयपुर ।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर राजस्थान ।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार,जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
7. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल, जोधपुर।
8. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर मण्डल,जोधपुर ।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पाली मण्डल ।
10. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,पाली मण्डल ।
11. अवधायक, वरिष्ठता अनुभाग, स्थानीय कार्यालय ।
12. सबंधित संस्था प्रधान ।
13. संबंधित अभ्यार्थी को पंजीकृत डाक के माध्यम से ।
14. निजी/रक्षक पंजिका ।

उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग,पाली

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,पाली मण्डल, पाली

क्रमांकः ईडीडी/माध्य/पाली/ईए/व0अ0 विज्ञान/आरपीएससी 2011 संशो.परि./2016/ 1131

दिनांक : 27.10.2016

आदेश संख्या – 01

जिला – पाली,जालोर,सिरोही

क्रसं	मेरिट क्रमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्मतिथि	रोस्टर चयन वर्ग जिसके प्रति अभ्यर्थी का चयन हुआ।	पदस्थापन स्थान	विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2229	OBC	अशोक कुमार	जोगाराम	212 रामदेवरा के सामने जाट गॉव बींजवाडिया तह बिलाड़ा जिला–जोधपुर	23.12.86	BC,LD	रामावि अमरपुरा, जैतारण, जिला – पाली	विद्यमान वेतन
2	2230	OBC	सुरेश कुमार	बद्री प्रसाद	ग्राम पोस्ट लालगढ़ जाटान तह सादुलशहर जिला–श्रीगंगानगर	14.09.82	BC,LD	राबामावि जोजावर, मारवाड जक्शन, जिला – पाली	विद्यमान वेतन
3	2231	GEN	अजय कुमार	रामस्वरूप सिंह	मु पो–कीठाना तह चिडावा जिला–झुन्झुनु	15.08.87	GEN,LD	रामावि दानवरली, बाली, जिला – पाली	नियत पारिश्रमिक
4	1602	OBC	शबनम जहा	सुबरात अली	व्यापारी मोहल्ला राजस्थान पब्लिक स्कूल के पास पीपाड़ शहर जोधपुर	13.01.88	BC, WE	राबामावि नोवी, सुमेरपुर, जिला – पाली	नियत पारिश्रमिक
5	2172	SC	सुशीला	भोलाराम	गॉव खुडी बड़ी पोस्ट खुडी बडी तह0 लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर	21.07.86	SC,WE	रामावि भवरी, पिण्डवाडा, जिला – सिरोही	नियत पारिश्रमिक
6	2177	SC	सुकी देवी	हरीराम	698 कोलरी का वास सियाणा जिला–जालोर	03.07.83	SC,WE	रामावि मेथडीवाडा, रानीवाडा, जिला – जालोर	विद्यमान वेतन
7	2222	ST	अनिता मीना	छोटे लाल मीणा	ई–1/385 लक्ष्मणपथ चित्रकुट योजना वैशाली नगर के पास जयपुर	21.06.87	ST,WE	रामावि बाछुन्दा, सुमेरपुर, जिला – पाली	नियत पारिश्रमिक
8	924	GEN	गौतम रावल	छगनलाल रावल	मु पो सियाणा जिला–जालौर	08.01.85	GE	रामावि तेजा की बेरी, सायला, जिला – जालोर	विद्यमान वेतन
9	1961	ST	दिनेश मीना	किशन गोपाल मीना	ग्रॉव–कांकरा पो–अयानी तह पीपल्दा जिला कोटा	01.07.86	ST	रामावि केर, पिण्डवाडा, जिला – सिरोही	नियत पारिश्रमिक
10	1967	ST	हरिमोहन मीणा	धर्मी लाल मीणा	गॉव गोपालपुरा पोस्ट मींजापुर तह टोडाभीम जिला करौली	12.06.87	ST	रामावि नई मोरसिम, भीनमाल, जिला – जालोर	विद्यमान वेतन

उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, पाली

" राजस्थान–सरकार"

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, पाली मण्डल,पाली

" कार्यालय–आदेश"

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर के पत्रांक शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/सीभ/व.अ./2011 दिनांक 19.10.16 के अनुसरण में राज0लोक सेवा आयोग,अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक (**हिन्दी**) भर्ती परीक्षा 2011 के संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन के लिए इस कार्यालय को सुपुर्द किए जाने के फलस्वरुप इन्हें वेतनमान पीबी–2(9300–34800) ग्रेड पे4200 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी के रुप में नियत मानदेय पर नियुक्ति प्रदान की जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.12(6) एफडी(नियम)/05/दिनांक 13.03.2016 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 14660/ (अक्षरे रुपये चौदह हजार छः सौ साठ) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रुपमें देय होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क–2/2003/दिनांक 09.06.2013 के प्रावधानानुसारइनकी नियुक्ति अंशदायी पेशन योजनान्तर्गत होगी ।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रुप से संपादित करेंगे:–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यार्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदतचरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यार्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीयसेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2.. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04. 2003 के अनुसार संबंधित अभ्यार्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरुप कुल संतानो की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाण–पत्र आवश्यक रुप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक,प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैघता संबंधी जॉच विभाग स्तर पर कार्यवाही कीजानी शेष है अतः जिन अभ्यार्थियों द्वारा राज्य सरकार से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक यौग्यता अर्जित कीगई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाये जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थियों से 10/–रु0 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक /प्रशेक्षिक योग्यता व वैद्य व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनक विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी।
4. आवेदन पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण कराने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
5. अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया हुआ हो। अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि " अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात अनुसूची मे वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाए।
6. अन्य पिछड़ावर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण–पत्र पिता की आय के आधार पर जारी कियाहुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआहो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।

7. धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र कमांक प.17(9) कार्मिक/क–2/2015के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्यपिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं हैं। यदि ऐसे अभ्यार्थी पाया जाता है तो,संबंधित संस्था प्रधान इन्हें कार्यग्रहण नहीं करावें । सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें ।
8. चयनित अभ्यार्थियों के कार्यग्रहण कराने से पूर्व उनकी पात्रता,आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्जावेंजों की आवश्यकरुप से जॉच करें तथा अभ्यार्थी से यह शपथ पत्र लेवें की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण,जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसारविधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा ।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
10. यह नियुक्तिमाननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 795/2015 राधेश्याम गोदारा व अन्य बनाम आयोग व अन्य तथा समकक्ष अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगें।
11. इन अभ्यार्थियों को अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक 11.11.2016 तक अनिवार्यरुप से कार्यग्रहण करना होगा,अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे ।

(भरत कुमार मेहता)
उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग,पाली

क्रमांकः– ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/आरपीएससी–11 सशो. परि./व.अ./16/पाली/1132 दि0 27.10.16
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव,स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान,जयपुर ।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर राजस्थान ।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार,जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
7. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल, जोधपुर।
8. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर मण्डल,जोधपुर ।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पाली मण्डल ।
10. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,पाली मण्डल ।
11. अवधायक, वरिष्ठता अनुभाग, स्थानीय कार्यालय ।
12. सबंधित संस्था प्रधान ।
13. संबंधित अभ्यार्थी को पंजीकृत डाक के माध्यम से ।
14. निजी/रक्षक पंजिका ।

उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग,पाली

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,पाली मण्डल, पाली

क्रमांकः ईडीडी/माध्य/पाली/ईए/व0अ0 हिन्दी/आरपीएससी 2011 संशो.परि./2016/ 1132 दिनांक : 27.10.2016

आदेश संख्या – 01

जिला – पाली,जालोर,सिरोही

क्रसं	मैरिट क्रमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्मतिथि	रोस्टर चयन वर्ग जिसके प्रति अभ्यर्थी का चयन हुआ।	पदस्थापन स्थान	विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2176	OBC	मन्शाराम पुनियॉ	श्रवणलाल पुनियॉ	गावॅ–रलावता पोस्ट रेनवाल तह–फूलेरा जिला–जयपुर	10-01-1982	BC,BL	रामावि अमरपुरा, जैतारण, जिला – पाली	विद्यमान वेतन
2	2043	SC	आशाराम चौहान	तोलाराम चौहान	गॉव व पोस्ट–धानोल तह–रानीवाड़ा जिला–जालोर	05-06-1974	SC,BL	रामावि नई मोरसिम, भीनमाल, जिला – जालोर	नियत पारिश्रमिक
3	2179	OBC	हरेन्द्र कुमार	हुकम चन्द्र	गॉव कटरियापुरा पोस्ट–बल्लभगढ़ तह0 बयाना जिला भरतपुर	18-02-1990	BC,BL	रामावि नाणणा, रायपुर, जिला – पाली	नियत पारिश्रमिक
4	2248	OBC	मन्जू देवी	अमरसिंह	ग्राम व पोस्ट–मण्डाला, तह. –बहरोड़ जिला–अलवर	15-03-1986	OBC,WD,WE	राबामावि जोजावर, मारवाड जक्शन, जिला – पाली	नियत पारिश्रमिक
5	1444	OBC	भारती मालवीय	देवराज	148,शिव नगर आईसोन आई टी आई के सामने मण्डिया रोड पाली	12-07-1984	BC,WE	राबामावि नोवी, सुमेरपुर, जिला – पाली	विद्यमान वेतन
6	1355	OBC	गोवा राम	जोधाराम कलबी	गॉव–पाबरडी पोस्ट–सिवाड़ा तह0 चितलवाना जिला–जालोर	05-02-1984	BC	रामावि लच्छीवाड, सायला, जिला – जालोर	नियत पारिश्रमिक
7	1471	SBC	झालाराम देवासी	हीराराम	ग्राम व पोस्ट–बेडल तह0 बाली जिला पाली	15-03-1985	SB	रामावि फलवाडी, सिरोही, जिला – सिरोही	नियत पारिश्रमिक
8	1850	SC	गिरधर गोपाल बलाई	श्याम लाल बलाई	गॉव व पोस्ट–आवॉ तह0 दूनी जिला–टोंक	05-10-1982	SC	रामावि तेजा की बेरी, सायला, जिला – जालोर	नियत पारिश्रमिक
9	1895	ST	राजेश कुमार मीना	बत्तीलाल मीना	गॉव सारंगपुरा पोस्ट कोयला तह–बामनवास जिला–सवाई माधोपुर	15-09-1980	ST	रामावि चोचावा, सायला, जिला – जालोर	नियत पारिश्रमिक

उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, पाली

" राजस्थान–सरकार"

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, पाली मण्डल,पाली

" कार्यालय–आदेश"

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर के पत्रांक शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/सीभ/व.अ./2011 दिनांक 19.10.16 के अनुसरण में राज0लोक सेवा आयोग,अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक **(अंग्रेजी)** भर्ती परीक्षा 2011 के संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन के लिए इस कार्यालय को सुपुर्द किए जाने के फलस्वरुप इन्हें वेतनमान पीबी–2(9300–34800) ग्रेड पे4200 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी के रुप में नियत मानदेय पर नियुक्ति प्रदान की जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.12(6) एफडी(नियम)/05/दिनांक 13.03.2016 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 14660/ (अक्षरे रुपये चौदह हजार छः सौ साठ) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रुपमें देय होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क–2/2003/दिनांक 09.06.2013 के प्रावधानानुसारइनकी नियुक्ति अंशदायी पेशन योजनान्तर्गत होगी ।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रुप से संपादित करेंगे:–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यार्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदतचरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यार्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीयसेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2.. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यार्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरुप कुल संतानो की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाण–पत्र आवश्यक रुप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक,प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैघता संबंधी जॉच विभाग स्तर पर कार्यवाही कीजानी शेष है अतः जिन अभ्यार्थियों द्वारा राज्य सरकार से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक यौग्यता अर्जित कीगई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाये जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थियों से 10/–रु0 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक /प्रशेक्षिक योग्यता व वैद्य व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनक विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी।
4. आवेदन पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण कराने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
5. अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया हुआ हो। अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि " अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात अनुसूची मे वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाए।
6. अन्य पिछड़ावर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण–पत्र पिता की आय के आधार पर जारी कियाहुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआहो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।

7. धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र कमांक प.17(9) कार्मिक/क–2/2015के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्यपिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं हैं। यदि ऐसे अभ्यार्थी पाया जाता है तो,संबंधित संस्था प्रधान इन्हें कार्यग्रहण नहीं करावें । सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें ।
8. चयनित अभ्यार्थियों के कार्यग्रहण कराने से पूर्व उनकी पात्रता,आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्जावेंजों की आवश्यकरुप से जॉच करें तथा अभ्यार्थी से यह शपथ पत्र लेवें की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण,जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसारविधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा ।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
10. यह नियुक्तिमाननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 795/2015 राधेश्याम गोदारा व अन्य बनाम आयोग व अन्य तथा समकक्ष अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगें।
11. इन अभ्यार्थियों को अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक 11.11.2016 तक अनिवार्यरुप से कार्यग्रहण करना होगा,अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे ।

(भरत कुमार मेहता)
उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग,पाली

क्रमांकः– ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/आरपीएससी–11 सशो. परि./व.अ./16/पाली/ 1133 दि0 27.10.16

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव,स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान,जयपुर ।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर राजस्थान ।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार,जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
7. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल, जोधपुर।
8. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर मण्डल,जोधपुर ।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पाली मण्डल ।
10. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,पाली मण्डल ।
11. अवधायक, वरिष्ठता अनुभाग, स्थानीय कार्यालय ।
12. सबंधित संस्था प्रधान ।
13. संबंधित अभ्यार्थी को पंजीकृत डाक के माध्यम से ।
14. निजी/रक्षक पंजिका ।

उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग,पाली

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,पाली मण्डल, पाली

क्रमांकः ईडीडी/माध्य/पाली/ईए/व0अ0 अंग्रेजी/आरपीएससी 2011 संशो.परि./2016/ 1133

दिनांक : 27.10.2016

आदेश संख्या – 01

जिला – पाली,जालोर,सिरोही

क्रसं	मेरिट कमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्मतिथि	रोस्टर चयन वर्ग जिसके प्रति अभ्यर्थी का चयन हुआ।	पदस्थापन स्थान	विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1624	BC	दीपक कुमार खुराडिया	सुरेश कुमार खुराडिया	सैनी धर्मशाला के सामने,काला कुआँ,नया बास,अलवर,राज0 301001	29.01.83	BC,LD	रामावि सेदिया, सांचोर, जिला – जालोर	नियत पारिश्रमिक
2	1671	GEN	अब्दुल रऊफ	अब्दुल रहमान कुरैशी	डुंगर वाली मस्जिद के पास, ग्रा पो तह – मलारना डुंगर, सवाई माधोपुर, 322028	16.07.80	GE, LD	राबामावि रास, जैतारण, जिला – पाली	नियत पारिश्रमिक
3	2030	ST	सावित्री मीणा	शिवनारायण मीणा	ग्राम जीलो तह. नीम का थाना, सीकर 332744	01.07.83	ST, WE	रामावि नई मोरसिम, भीनमाल, जिला – जालोर	नियत पारिश्रमिक
4	2038	ST	कल्पना मीणा	हरिराम मीणा	ग्राम माल की ढाणी, पो– ठीकरिया, तह. सागानेर जयपुर 302026	21.04.89	ST, WE	रामावि बाचुन्डा, सुमेरपुर, जिला – पाली	विद्यमान वेतन
5	780	GEN	महिपाल सिंह	मदनसिंह	गॉव व पोस्ट – बादनवाडी, तह. आहोर जिला – जालोर	21.06.85	GE	रामावि मेथडीवाडा, रानीवाडा, जिला – जालोर	नियत पारिश्रमिक
6	1620	SC	रेवाराम	रणछोड राम मेघवाल	मु. पां – लुणोल, तह. रेवदर सिरोही, राज. 307514	08.07.84	SC	रामावि केर, पिण्डवाडा, जिला – सिरोही	नियत पारिश्रमिक
7	1622	SC	रमेश चन्द बैरवा	सरियाराम बैरवा	ग्राम–जगनेर, पोस्ट–कल्लावास, तह–रामगढ पचवारा, दौसा, राज0 303505	20.12.79	SC	रामावि भावरी, पिण्डवाडा, जिला – सिरोही	नियत पारिश्रमिक
8	1641	SC	प्रदीप कुमार वर्मा	सुवालाल वर्मा	गॉव व पोस्ट– लामियां, तह–दातारामगढ, सीकर, 332602	02.06.84	SC	रामावि पंचदेवल, पिण्डवाडा, जिला – सिरोही	विद्यमान वेतन

उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, पाली